## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No5.1./.2018 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant 27 and 3// S
7.5 +11 ct = 13.2 (+1: 12. 2007 -1)
THE THE PARTY OF T
Name, parentage, caste and address of accused  210100 \$/0 \$212 Dig 12 2010 1410
हाल नामें छक्टा, मालवायुर
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 2/2/2018 मुकाम नाम अनुहा है। ट्रेट के 419 पर बिना वैध अनुहाप्ति के अपने
अधिपत्य में 48 नवाद्य लीटर/पाव/बोतल शराब विकथ/परिव्रहन हेतु रखी। ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।  वया आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
ENT CARD
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है! न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 20/3/18 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझायें जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
  - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
    - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये। (क) शब्दों में अक रूपये के उपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 रिवंश का साधारण कारावास की संजा भुगतायी जावे।

To all the second